

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई०ए०एस०)

अपील संख्या :- 230 / 2023 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2023/250)

श्री पप्पू पुत्र रामरतन उम्र 45 साल निवासी ग्राम फूसोदा तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

तहसीलदार, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।

.....रैस्पोडेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.02.2019 न्यायालय तहसीलदार सवाई माधोपुर तहसील सवाई माधोपुर उनवानी सरकार बनाम पप्पू प्रकरण संख्या 32/19 व न्यायालय जिला कलक्टर सवाई माधोपुर उनवानी मुकदमा नंबर 95/19 व निर्णय दिनांक 27.11.2019

उपरिस्थिति:-

श्री बच्चू सिंह जाट वकील अपीलान्त।

निर्णय

दिनांक:- 29.11.2023

उक्त द्वितीय अपील एल.आर.एक्ट की धारा 76 के अन्तर्गत जिला कलक्टर सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 27.11.2019 व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.02.2019 के विरुद्ध पेश की गई है। संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि ग्राम फूसोदा के खसरा नंबर 1322 रकबा 0.05 है 0 किस्म गैर मुमकिन चारागाह पर अपीलान्त का अतिक्रमण मानते हुए तहसीलदार सवाई माधोपुर द्वारा निर्णय दिनांक 18.02.2019 से बेदखल किये जाने, 50 गुना शास्ती आरोपित करने व 3 माह के सिविल कारावास से दण्डित किया गया था। उक्त आदेश के विरुद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर के न्यायालय में अपीलान्त की ओर से अपील पेश किये जाने पर आदेश दिनांक 27.11.2019 के द्वारा अपील खारिज किये जाने व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित आदेश दिनांक 18.02.2019 को यथावत रखे जाने पर उक्त दोनों निर्णयों के विरुद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश किये जाने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रैस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली तलब की गई। अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावलियां प्राप्त होने पर अपील में बहस सुनी गई। वक्त बहस रैस्पोडेन्ट की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं। वकील अपीलान्त की एकपक्षीय बहस सुनी गई।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक ने मीमो आफ अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि दोनों अदालत मातहतों के अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2019 व 27.11.2019 विधिविरुद्ध व तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। दोनों तहत अदालतों ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व न तो रिकार्ड का रिपोर्ट मंगाई गई और न ही अपीलान्त को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर दिया गया। पटवारी हल्का द्वारा अपीलान्त के विरुद्ध विवादित भूमि पर अतिक्रमण किये जाने के संबंध में गलत रिपोर्ट पेश की गई। इस रिपोर्ट को आधार मानकर अपीलान्त के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। जबकि मामले में वास्तविकता यह है कि



29.11.2023
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

विवादित भूमि पर अपीलान्त के अलावा अन्य कई व्यक्तियों के बुजुर्गान के समय से ही मकान बने हुए हैं। उक्त खसरा नंबर की भूमि को आबादी विस्तार के लिए आवंटित किये जाने हेतु ग्राम पंचायत द्वारा जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को प्रस्ताव भिजवाये हुए हैं। इसके बावजूद दोनों अदालत मातहत द्वारा इस तथ्य को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। जहां तक अपीलान्त का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने का प्रश्न है तो इस संबंध में विधि का यह सुरस्थापित सिद्धान्त है कि किसी भी व्यक्ति को पूर्व में किसी भी निर्णय के क्रियान्वयन में मौके से भौतिक रूप से बेदखल नहीं किया गया हो तो उस व्यक्ति को पश्चातवर्ती अतिचारी नहीं माना जा सकता। तहसीलदार सवाई माधोपुर की पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है। जिससे यह माना जा सके कि अपीलान्त को विवादित भूमि से पूर्व में बेदखल किया गया हो। पटवारी हल्का के बयानों में भी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अपीलान्त को पूर्व में विवादित भूमि से कब बेदखल किया गया है। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय में पारित सजा व जुर्माने की सजा को माफ किये जाने का आदेश पारित किया जावे।

अपीलान्त के विद्वान अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गई व मनन किया गया तथा अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। उपरोक्त प्रकरण में अपीलान्त के विरुद्ध पटवारी हल्का की ओर से खसरा नंबर 1322 रकबा 3.21 है० किस्म गैरमुमकिन चारागाह के 0.05 है० रकबे पर मकान बनाकर अतिक्रमण किये जाने तथा पश्चातवर्ती अतिचारी होने की रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर को पेश की गई। जिस पर अपीलान्त को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत सुनवाई हेतु विधिवत नोटिस जारी किया गया है व अपना पक्ष दिनांक 18.02.2019 को उपस्थित होकर रखे जाने की अपेक्षा की गई। उक्त नोटिस की तामील अपीलान्त पर होने के बावजूद नियत पेशी दिनांक को उपस्थित नहीं होने पर पटवारी हल्का के बयान लेने के बाद तहसीलदार सवाई माधोपुर के द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2019 को पारित किया गया। जिसमें पटवारी हल्का द्वारा दिये गये बयान व पूर्व में अपीलान्त के विरुद्ध प्रकरण संख्या 78/18 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 का उल्लेख पश्चातवर्ती अतिचार के संबंध में करते हुए अपीलान्त को विवादित भूमि से पश्चातवर्ती अतिचारी घोषित करते हुए बेदखल करने व लगान की 50 गुना शास्ती के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया एवं पश्चातवर्ती अतिचार होने के कारण अपीलान्त को 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया।

तहसीलदार सवाई माधोपुर के द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.02.2019 के विरुद्ध जिला कलक्टर सवाई माधोपुर को अपीलान्त की ओर से अपील पेश की गई। इस अपील में विद्वान जिला कलक्टर सवाई माधोपुर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2019 में निर्णय पारित किया। जिसमें यह अभिमत दिया गया कि अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्त को विधिवत नोटिस जारी किया गया है व साक्ष्य पेश करने का समुचित अवसर दिया गया है। अपीलान्त का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार होने के संबंध में भी पटवारी हल्का के बयान व पूर्व में प्रकरण संख्या 78/18 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2018 का उल्लेख किया गया है। ग्राम पंचायत की ओर से जिला कलक्टर को भिजवाये गये आबादी विस्तार के प्रस्ताव के संबंध में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त प्रस्ताव काफी पुराने हो जाने के कारण नये सिरे से जांच करवाई जाकर प्रस्ताव प्राप्त होने



५६
संश्लेषित आदेश
भारतपुर संभाग, भारतपुर

की स्थिति में ही कार्यवाही किया जाना उचित रहेगा। अपीलान्ट की ओर से विवादित भूमि पर मकान व बाड़ा बनाकर स्थायी अतिक्रमण किया गया है। इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज की है।

उक्त दोनों अदालत मातहतों की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णयों के अवलोकन से यह तथ्य तो निर्विवादित है कि अपीलान्ट द्वारा सरकारी भूमि जिसकी किस्म गैर मुमकिन चारागाह है, पर अतिक्रमण किया गया है तथा अपीलान्ट की ओर से पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया जाना भी प्रमाणित हुआ है। जहां तक वकील अपीलान्ट की ओर से दिया गया तर्क कि अपीलान्ट को तहसीलदार द्वारा विधिवत नोटिस नहीं दिया गया तथा सुनवाई व साक्ष्य पेश करने का पर्याप्त व उचित अवसर नहीं दिया गया तो उक्त तर्क अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली के अवलोकन से मानने योग्य नहीं है, क्योंकि अपीलान्ट के विरुद्ध विवादित भूमि में अतिक्रमण किये जाने की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से अपीलान्ट को एल.आर. एक्ट की धारा 91 के तहत विधिवत नोटिस जारी किया गया है। जिसकी तामील अपीलान्ट पर होने के बावजूद नियत पेशी पर अपीलान्ट के उपस्थित नहीं होने के कारण पटवारी हल्का के वयान लेने के बाद अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.02.2019 को पारित किया है। पटवारी हल्का ने अपने वयान में पश्चातवर्ती अतिचार होने का उल्लेख भी किया है तथा अपीलान्ट की ओर से पूर्व में किये गये अतिक्रमण के संबंध में प्रकरण संख्या 78/18 में दिनांक 31.10.2018 में पारित निर्णय की प्रति भी संलग्न की है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट का विवादित भूमि पर पश्चातवर्ती अतिचार रहा है। इसके अलावा स्वयं अपीलान्ट ने भी यह स्वीकार किया है कि विवादित भूमि पर अपीलान्ट का वर्षों पुराना मकान बना हुआ है। विवादित भूमि को ग्राम पंचायत की ओर से आवादी हेतु आरक्षित करवाये जाने बावत जिला कलक्टर को प्रस्ताव भिजवाये जाने का जहां तक प्रश्न है तो इस संबंध में अपीलान्ट की ओर से न तो दोनों अदालत मातहतों में और न ही अदालत हाजा में इस तरह के कोई प्रस्ताव की प्रति ही प्रस्तुत की है। इसके अलावा भी विवादित भूमि जिस पर अपीलान्ट का अतिक्रमण है कि किस्म गैर मुमकिन चारागाह है। जिसे राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 16 के तहत न तो आवंटित किया जा सकता है और न ही नियमन ही किया जा सकता है। इस आधार पर भी दोनों अदालत मातहतों के अपीलाधीन निर्णयों में किसी प्रकार की कोई अनियमितता या अवैधानिकता नजर नहीं आती है। अपीलान्ट की ओर से जिला कलक्टर न्यायालय में प्रस्तुत अपील में भी विद्वान जिला कलक्टर ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2019 स्पष्ट व स्पीकिंग पारित किया है, जो कि न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर जिला कलक्टर सवाई माधोपुर व तहसीलदार सवाई माधोपुर की ओर से पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.11.2019 व 18.02.2019 यथावत रखा जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 29.11.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

29.11.2023
(साँवर मेल वर्मा)
संभाजीव आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

